

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-09/अ०नि०अ०-10/2016-2215

दिनांक 22/9/2021

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत नियमावली के नियम-16 के अनुरूप विभागीय संकल्प झापांक-2539, दिनांक-15.12.2001 द्वारा गठित राज्य स्तरीय उच्चशक्ति प्राप्त सतर्कता और अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

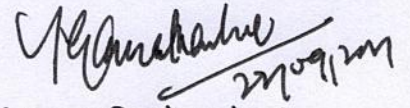
क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	श्री चम्पाई सोरेन, मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड	सदस्य
3	श्री रामेश्वर उरांव, मंत्री, वित्त विभाग, झारखण्ड	सदस्य
4	श्री शिबू सोरेन, राज्यसभा सदस्य	सदस्य
5	श्री समीर उरांव, राज्यसभा सदस्य	सदस्य
6	श्री विजय हांसदा, लोकसभा सदस्य	सदस्य
7	श्री सुनील सोरेन, लोकसभा सदस्य	सदस्य
8	श्रीमती गीता कोड़ा, लोकसभा सदस्य	सदस्य
9	श्री अर्जुन मुण्डा, लोकसभा सदस्य	सदस्य
10	श्री सुदर्शन भगत, लोकसभा सदस्य	सदस्य
11	श्री विष्णु दयाल राम, लोकसभा सदस्य	सदस्य
12	श्री लोबिन हेम्ब्रम, सदस्य विधान सभा	सदस्य
13	श्री दिनेश विलियम मरांडी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
14	श्री स्टीफन मरांडी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
15	श्री नलिन सोरेन, सदस्य विधान सभा	सदस्य
16	श्री बसंत सोरेन, सदस्य विधान सभा	सदस्य
17	श्रीमती सीता मुर्मू, सदस्य विधान सभा	सदस्य
18	श्री नारायण दास, सदस्य विधान सभा	सदस्य
19	श्री किशुन कुमार दास, सदस्य विधान सभा	सदस्य
20	श्री सत्यानन्द भोक्ता, सदस्य विधान सभा	सदस्य
21	श्री बाबू लाल मरांडी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
22	श्री केदार हाजरा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
23	श्री अमर कुमार बाउरी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
24	श्री रामदास सोरेन, सदस्य विधान सभा	सदस्य
25	श्री संजीव सरदार, सदस्य विधान सभा	सदस्य
26	श्री मंगल कालिन्दी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
27	श्री दीपक बिरुवा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
28	श्री निरल पुरती, सदस्य विधान सभा	सदस्य
29	श्री सोनराम सिंक्, सदस्य विधान सभा	सदस्य
30	श्रीमती जोबा मांझी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
31	श्री सुखराम उरांव, सदस्य विधान सभा	सदस्य

Yash
22/09/2021

32	श्री दशरथ गागराई, सदस्य विधान सभा	सदस्य
33	श्री विकास कुमार मुंडा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
34	श्री कोचे मुंडा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
35	श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
36	श्री राजेश कच्छप, सदस्य विधान सभा	सदस्य
37	श्री समरी लाल, सदस्य विधान सभा	सदस्य
38	श्री बंधु तिर्की, सदस्य विधान सभा	सदस्य
39	श्री जिगा सुसारण होरो, सदस्य विधान सभा	सदस्य
40	श्री भूषण तिर्की, सदस्य विधान सभा	सदस्य
41	श्री चमरा लिंडा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
42	श्री भूषण बाड़ा, सदस्य विधान सभा	सदस्य
43	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, सदस्य विधान सभा	सदस्य
44	श्री रामचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा	सदस्य
45	श्री बैधनाथ राम, सदस्य विधान सभा	
46	श्रीमती पुष्पा देवी सदस्य विधान सभा	सदस्य
47	मुख्य सचिव, झारखण्ड	सदस्य
48	सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड	सदस्य
49	पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड	सदस्य
50	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
51	सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड	संयोजक

उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले, अधिनियम के अन्तर्गत मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी एवं जुलाई माह में होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



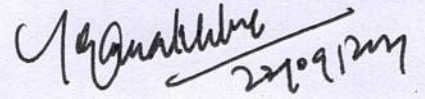
(कमल किशोर सोन)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-09/अ०नि०अ०-10/2016 - 2215

राँची, दिनांक- 22/9/2021

प्रतिलिपि :- उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

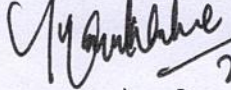


सरकार के सचिव।

झापांक:-09/अ०नि०अ०-10/2016 - 2215

राँची, दिनांक- 22/9/2021

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/मुख्य सचिव, झारखण्ड/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उपनिदेशक कल्याण, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।